(ii) असीमित वैध मुद्रा (Unlimited Legal Tender Money)—वह मुद्रा असीमित वैध तब होती है। जब असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर इसमें भुगतान किया जा सकता हो। भारत में, सभी कागज के नोट और पचास पैसे, एक, दो और पांच रुपये के सिक्के असीमित वैध मुद्रा हैं। लोगों को नोटों और इन सिक्कों में असीमित राशि का भुगतान स्वीकार करना पड़ता है।

(2) अवैध मुद्रा (Non-legal Tender Money)—जिस मुद्रा को सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती उसे अवैध मुद्रा कहते हैं। राबर्टसन ने इसे "ऐच्छिक (Optional) मुद्रा" की संज्ञा दी है। चैकों, हुंडियों और प्रोनोटों आदि के रूप में प्रचलित मुद्रा अवैध मुद्रा है। लोगों को इस तरह की मुद्रा स्वीकार करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्गम को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। चैक और ड्राफ्ट के अलावा, ऐच्छिक मुद्रा के अन्य रूप भी हैं, जैसे सावधि जमा, बांड, प्रतिभूतियां, डिबेंचर, विनिमय पत्र, खजाना पत्र, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पालिसी, आदि। वे 'निकट मुद्रा' या 'मुद्रा स्थानापन्न' कहलाते हैं। वे मूल्य के संचय के रूप में लगभग पूर्ण स्थानापन्न हैं। उनमें तरलता पाई जाती है और उनसे आय प्राप्त होती है। वे करेंसी के प्रयोग में बचत लाते हैं। परन्तु वे वैध नहीं होते हैं।

3. लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा (Money of Account and Money Proper)

केन्ज़ ने लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा में भेद किया है। उसके मतानुसार "लेखा मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋण और कीमतें और सामान्य क्रयशक्ति को व्यक्त किया जाता है।" दूसरी ओर यथार्थ मुद्रा वह वास्तविक मुद्रा है जिसमें ठेकों तथा ऋणों का हिसाब चुकाया जाता है जैसे भारतीय रुपया, इंग्लैण्ड का पौंड, अमरीकी डालर, फ्रांस का फ्रैंक, इटली का लीरा इत्यादि। आमतौर पर, जब देश के भीतर यथार्थ मुद्रा में हिसाब-किताब रखा जाता है, तो यथार्थ मुद्रा और लेखा मुद्रा में कोई अन्तर नहीं होता। पर, यदि किसी अन्य करेन्सी में हिसाब रखे जाएं, तो यथार्थ मुद्रा से लेखा मुद्रा में अन्तर होता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी में ऐसा ही हुआ था जब लेखा मुद्रा तो अमरीकी डालर थी और यथार्थ मुद्रा मार्क थी। परन्तु दोनों में अन्तर भी हो सकता है— जब मुद्रा के रूप में मुद्रा का मूल्य और वस्तु के रूप में मुद्रा का मूल्य भिन्न हों। उदाहरणार्थ, लेखा मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य स्थिर रहा है। परन्तु वस्तु के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य या यथार्थ मुद्रा समयोपरि परिवर्तित हो रहा है, अर्थात् यह असीमित वैध मुद्रा है। यह प्रतीक सिक्का या मुद्रा है जिसका वर्तमान वास्तविक मूल्य उसके 1939 के अंकित मूल्य की तुलना में नगण्य है।

4. मुद्रा तथा निकट मुद्रा
(MONEY AND NEAR MONEY)*

मुद्रा, करेन्सी और बैंक जमा से बनती है। किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए हुए सिक्के और करेन्सी नोट, और देश के कमर्शियल बैंकों के चैक तरल परिसम्पत्ति होती है। चैक और बैंक ड्राफ्ट दरअसल मुद्रा के लगभग पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। ऐसा इसलिए कि वे मुद्रा के विनिमय माध्यम का कार्य करते हैं। परन्तु थोड़े नोटिस पर चैक और बैंक ड्राफ्ट केवल मांग जमा (demand deposit) के संबध में ही जारी किए जा सकते हैं। सावधि जमा (time deposit) के संबंध में यह बात नहीं होती। सावधि जमा या तो नियत अवधि के बाद या बैंक को पहले नोटिस देकर और हरजाना उठाकर

* Inside Money और Outside Money के लिए आगे अध्याय देखिए।

Scanned with CamScanner

निकलवाई जा सकती है। इस प्रकार सावधि जमा वास्तविक मुद्रा नहीं होती, और उसे वास्तविक मुद्रा बनाने के लिए उसे नकदी अथवा मांग जमा में परिवर्तित करना जरूरी है। पर सावधि जमा निकट मुद्रा तो होती है क्योंकि बिना हानि उठाए उसे थोड़ी अवधि में वास्तविक मुद्रा में बदला जा सकता है। उदाहरणार्थ, 10,000 रु. की तीन वर्ष के लिए सावधि जमा को तीन वर्ष से पहले भी मांग जमा अथवा 10,000 रु. नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। उन पर निश्चित दर से ब्याज भी मिलता है। यदि सावधि जमा को नियत समय से पहले नकदी या मांग जमा में बदलवाया जाए, तो सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर कुछ कम हो जाती है। इस प्रकार, निकट मुद्रा परिसम्पत्तियां आरजी तौर पर मुद्रा के मूल्य संचय का काम करती हैं और उन्हें थोड़े नोटिस पर अंकित मूल्य में हानि के बिना, विनिमय के माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है।

सावधि जमा के अतिरिक्त, अन्य निकट मुद्रा सम्पत्तियां ये हैं: बांड, प्रतिभूतियां, डिबेंचर, हुंडियां, ट्रेजरी बिल, बीमा पालिसियां आदि। इन सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए बाजार है और ये बेचनीय हैं, इसलिए इन्हें थोड़े से समय में ही वास्तविक मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे इस बात पर विचार किया जा रहा है कि ये सभी बेचनीय प्रपत्र (negotiable instruments) क्योंकर निकट मुद्रा हैं।

बांड प्रतिभूतियां तथा डिबेंचर एक ही श्रेणी में आते हैं। बांड तथा प्रतिभूतियों को सरकार जारी करती है जबकि डिबेंचर कंपनियां जारी करती हैं। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन अवधि के लिए निधियां (funds) उधार लेने के साधन हैं और इन पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलता रहता है। ये इसलिए निकट मुद्रा सम्पत्तियां हैं कि इन्हें मुद्रा-बाजार में थोड़े नोटिस पर ही नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

मुद्रा का एक अन्य रूप है हुंडी। इसे *IOU* (I owe you अर्थात् मैं आपका देनकार हूं) भी कहते हैं। इसे लिखने वाला किसी फर्म का कोई व्यक्ति होता है जिसमें वह कहता है कि मैं अमुक (किसी निश्चित) को इतनी (उल्लिखित) मुद्रा-राशि का भुगतान कर दूंगा। इसमें दी गई भुगतान की तिथि, लिखने की तिथि के 90 दिन बाद की कभी नहीं होती। हुंडी अपने आपमें तो मुद्रा नहीं होती परन्तु देय तिथि को निश्चय से मुद्रा होती है। परन्तु यदि हुंडी का मालिक उसे नकदी में बदलना चाहे तो वह अवश्य निकट मुद्रा होती है। उसे बट्टे पर या उसके अंकित मूल्य से कम मुद्रा लेकर भुनाया जा सकता है।

सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल भी निकट मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। ट्रेजरी बिल ऐसा पत्र होता है जिसमें सरकार की ओर से निकट भविष्य में, आमतौर पर 30, 60 या 90 दिन में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का वादा होता है। ट्रेजरी बिल भी एक तरह की हुंडी है, और उसे भी थोड़ी-सी अवधि में बट्टे पर भुनाया जा सकता है।

जीवन बीमा पालिसी भी निकट मुद्रा का एक उदाहरण है। जीवन बीमा पालिसी का धारक थोड़े नोटिस पर ऋण के रूप में नकदी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जीवन-बीमा पालिसी भी तरल परिसम्पत्ति का एक रूप है जिसे निकट मुद्रा माना जा सकता है।

निकट मुद्रा के इन मान्यता प्राप्त साधनों के अतिरिक्त कुछ बिचौलिए भी पैदा हो गए हैं जो कुछ परिसम्पत्तियों के लिए मार्केट प्रदान करते हैं। इस तरह के बिचौलिए वे कम्पनियां हैं जो कुछ परिसम्पत्तियों की जमानत पर निधि प्रदान करती हैं और वे दलाल हैं जो सम्पत्ति, बांड, डिबेंचर, शेयर

Scanned with CamScanner

आदि खरीदते और बेचते हैं। वे इस तरह की परिसम्पत्तियों की तरलता बढ़ाते हैं और परिणामत: उन्हें निकट मुद्रा बना देते हैं।

अब मुद्रा और निकट मुद्रा का अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है। मुद्रा वैध होती है जो धारक को तत्काल तरलता प्रदान करती है। यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। दूसरी ओर निकट मुद्रा परिसम्पत्तियों का कोई कानूनी दरजा नहीं होता। उनमें मुद्रात्व अथवा तरलता तो होती है परन्तु मुद्रा जैसी तत्काल तरलता नहीं होती। मूल्य के संचय के रूप में वे मुद्रा के लगभग पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। वे मुद्रा से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे आय देते हैं। वे असली मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययता भी लाते हैं और लोगों द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा की मात्रा को कम करते हैं— स्थगित भुगतानों के माध्यम के रूप में और मूल्य के संचय के रूप में।

बावजूद इस बात के कि निकट मुद्रा परिसम्पत्तियों में तत्काल तरलता नहीं होती, लोग उन्हें ही अधिमान देते हैं। प्रो. ए॰जी॰ हार्ट के मतानुसार, ''लोग नकदी की अपेक्षा निकट मुद्रा को अधिमान इसलिए देते हैं कि इसमें रक्षा उद्देश्य की गुंजाइश रहती है।'' प्रो. डीन ने लक्ष्य किया है कि संयुक्त राज्य अमरीका में द्रव्यवत् (निकट) मुद्रा परिसम्पत्तियों की जो बेहद वृद्धि हुई है उसका एक कारण तो यह है कि मांग जमा की अपेक्षा उनसे अधिक आय प्राप्त होती है और दूसरा यह है कि वे नकदी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होती हैं। फिर, मुद्रा परिसम्पत्तियों के रूप में की जाने वाली बचतों को कुछ इस प्रकार की विशेष तकनीकों से प्रोत्साहन दिया जाता है जैसे वेतन-बचत स्कीम और कमर्शियल बैंकों की ऐसी योजनाएं जिनमें ग्राहकों के आदेश पर एक निश्चित राशि नियमित रूप से उन मांग जमा खाते से सावधि जमा खाते में स्थानान्तरित कर दी जाती है।

Scanned with CamScanner